

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

पत्रांक: सा०अनु०(ले०प०)/विविध पत्रा० (Vol. II)/2022-23/30/ 66

दिनांक: 29.07.2022

कार्यालय आदेश

आदेशानुसार, सूचित किया जाता है कि कार्यालय के सामने पुल के नीचे बने कार पार्किंग एवं बाईक पार्किंग स्थल में ही वाहनों को जिन्हें Pass issued है, उन्हें पार्क करने दिया जाय। उक्त पार्किंग स्थल भर जाने के उपरांत ही कार्यालय परिसर के पार्किंग स्थल में वाहनों को पार्क करने की अनुमति दी जायेगी।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कार्यालय के सामने वाले पार्किंग स्थल खाली रहने के उपरांत भी कुछ कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कार्यालय परिसर के पार्किंग में वाहन पार्क करने हेतु चौकीदार से बहस करते हैं जो कि उचित नहीं है तथा पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश का उल्लंघन है। भविष्य में इस तरह की घटना सामने आने के उपरांत संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ता./-

उप-महालेखाकार/प्रशासन

प्रतिनिधि सूचनाथ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. रा.चे.वा.लय, प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना
2. रा.चे.वा.लय, महालेखाकार (ले०प०) बिहार, पटना
3. रा.चे.वा.लय, उप महालेखाकार (प्रशा०)
4. रा.चे.वा.लय, उप निदेशक/CRA
5. रा.चे.वा.लय, सभी समूह अधिकारी गण
6. सभी निवृत्ती अधिकारी गण
7. वरीय लेखा अधिकारी/सामान्य अनुभाग, कार्यालय प्र०म०ले० (ले० एवं ह०) बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से उक्त कार्यालय आदेश का पारिचालन करवाने का कष्ट किया जाय।
8. व०ले०प०अ०/ए० एम० एस० अनुभाग से अनुरोध है कि उक्त कार्यालय आदेश का प्रकाशन कार्यालय वेबसाइट पर किया जाय।
9. सूचना पट्ट
10. कार्यालय सुरक्षा में तैनात होम गार्ड प्रभारी
11. कार्यालय परिसर में अवस्थित बैंक(UCO Bank), पोस्ट ऑफिस एवं CPWD कार्यालय
12. कंप्यूटरेकर (लेखापरीक्षा/लेखा एवं ह०कारी)
13. प्र. Audit Officer Association, Assistant Audit Officer Association एवं Civil Audit Employees Association से अनुरोध है कि उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रशासन को सहयोग तथा सुविधाजनक एवं सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु यदि कोई सुझाव हो तो देने का कष्ट करें।

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य अनुभाग